



- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जावेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड विद्यार्थीय प्रत्येक परीक्षाओं में रखा जावेगा।
- (9) उक्त स्कूल में राज्य सरकार के पूर्णपुनर्गठन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाय है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की खूब या विचलित बराती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण रद्द करता हो सिका जावेगा।

भवदीय,

(संयोजक)

अनु सचिव।

पुनर्गठन एवं विचारक तंत्र

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सुव्यवस्थित एवं आवधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निर्देशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निर्देशक, आगरा।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद।
- 4- निरीक्षक, आगरा भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- पर्यवेक्षक, श्री गिरी प्रसाद पब्लिक स्कूल दुल्हन, फिरोजाबाद।
- 6- फाईल बुक।

आज्ञा से,

(संयोजक)

अनु सचिव।